निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**24 फाल्गुन 1937 (श0)**

**(सं0 पटना 201) पटना, सोमवार, 14 मार्च 2016**

**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

————————

**अधिसूचनाएं**

**10 मार्च 2016**

जी0एस0आर0 03, दिनांक 14 मार्च 2016—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) ने जी0 एस0 आर0 संख्या–213 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2015 द्वारा ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015'' निर्गत किया है। ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015'' के खंड 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 के साथ पठित केन्द्रीय अधिसूचना एस0ओ0 681 (ई) दिनांक 30 नवम्बर, 1974 तथा जी0एस0आर0 800 दिनांक 09 जून, 1978 के अधीन प्रकाशित आदेश के प्रसंग में तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) की धारा 5 के साथ पठित धारा 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य में उक्त आदेश के अधीन राशन कार्ड, उचित मूल्य की दुकानों का अनुज्ञप्तिकरण एवं विनियमन, उचित मूल्य की दुकानों का प्रचालन, मॉनिटरी, पारदर्शिता और जबाबदेही, शास्ति, तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्ति तथा अपील, अन्य सम्बन्धित प्रावधानों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं :–

**भाग –1**

**प्रारम्भिक**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ**

(i) यह आदेश ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं**

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10);

(ख) **''उपाबद्ध''** से अभिप्रेत है इस आदेश से उपाबद्ध;

(ग) **''उचित मूल्य की दुकान का स्वामी''** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति और इसमें कोई स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ, शिक्षित बेरोजगार शामिल है, जिसके नाम से दुकान को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

(घ) **''खाद्य सुरक्षा अधिनियम''** से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20);

(ड.) **''स्थानीय प्राधिकार''** से अभिप्रेत है पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी, ग्राम समिति या कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है अथवा ऐसा कोई अन्य प्राधिकार या निकाय जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है;

(च) इस आदेश में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा केंद्रीय लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों अथवा आदेश में क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों;

(छ) **''उचित मूल्य की दुकान''** से अभिप्रेत है ऐसा स्थान जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशनकार्ड धारकों को या के लिए अधिनियम की धारा 03 के अधीन जारी किसी आदेश द्वारा आवश्यक वस्तुओं का भंडारण, विक्रय तथा लेखा–पंजियों का संधारण करने के लिए अनुज्ञप्त किया गया हो।

**3.** अब लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापन एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य, पात्र गृहस्थियों की पहचान, राशन कार्ड, खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा प्रौद्योगिकी तंत्र पर आधारित सुधार एवं आधुनिकीकरण से सम्बन्धित सारे कार्य इस आदेश में अंतर्विष्ट प्रावधानों द्वारा इसके प्रारम्भ होने की तिथि से नियंत्रित होंगे।

## भाग –2
## उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापन

**4. अनुज्ञापन प्राधिकारी**

अपने क्षेत्रान्तर्गत **अनुमंडल पदाधिकारी** अनुज्ञापन प्राधिकारी होंगे, जो इस आदेश के प्रावधानों के अधीन उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत, नियमित एवं नियंत्रित करेंगे। अनुज्ञापन पदाधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजनीय नहीं होंगी।

**5. जिला स्तरीय चयन समिति और अनुज्ञप्ति निर्गत करना** – उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदक सम्बन्धित अनुज्ञापन पदाधिकारी को अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। व्यक्ति अनुसूची–1 में, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ अनुसूची –2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। अनुज्ञापन पदाधिकारी, आवेदन पत्र की जांच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक से कराकर अपनी अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन जिला स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ भेजेंगे। चयन समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

अध्यक्ष – जिला पदाधिकारी
सचिव – पटना जिले के लिये अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) तथा शेष सभी जिलों के लिये जिला आपूर्ति पदाधिकारी;
सदस्य –(क) सम्बन्धित अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी;
(ख) जिला में पदस्थापित अनुसूचित जाति/जन जाति का एक पदाधिकारी;
(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान से अनुज्ञप्ति फीस प्राप्त कर समिति द्वारा चयनित उम्मीदवार को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी। अनुज्ञप्ति अनुसूची –3 में निर्गत की जायेगी। उचित मूल्य की दुकान के लिए प्राप्त आवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जायेगा।

**6. आरक्षण**

(i) इस आदेश के प्रारम्भ होने की तिथि को उचित मूल्य की दुकानों की रिक्तयों में आरक्षण निम्न प्रकार होगा :–

| | |
|---|---|
| अनुसूचित जाति | 16 (सोलह) प्रतिशत |
| अनुसूचित जनजाति | 01 (एक) प्रतिशत |
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 18 (अठारह) प्रतिशत |
| पिछड़ा वर्ग | 12 (बारह) प्रतिशत |
| पिछडे वर्ग की महिलायें | 03 (तीन) प्रतिशत |

(ii) यदि अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा, ।

(iii) नियुक्ति में आरक्षण देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के अनुसार विकलांगों को आरक्षण दिया जायेगा।

(iv) पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलायें शामिल मानी जायेंगी।

**7. आरक्षण का मानक अनुमंडल स्तर पर लागू होगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत आदर्श आरक्षण रोस्टर विन्दु लागू होगा।**

**8. उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकतायें**

अनुकम्पा मामले को छोड़कर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकतायें निम्न रूप में होंगी :–

(1) स्वयं सहायता समूह;

(2) महिलाओं की सहयोग समितियाँ;

(3) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ;

(4) शिक्षित बेरोजगार;

(5) सम्बन्धित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

**9. चयन समिति द्वारा उचित मूल्य की दुकान को आवंटित करने में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जायेगाः–**

(i) तत्समय विद्यमान जनगणना आंकड़ों के आधार पर शहरी क्षेत्रों में 1350 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने का प्रतिमान निर्धारित रहेगा।

(ii) शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि किसी उपभोक्ता को उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचने के लिए अधिकतम दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करना पड़े।

(iii) दूरस्थ तथा कठिन आवागमन वाले स्थानों में खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति के क्षेत्रों में 1000 (एक हजार) की आबादी पर भी एक उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जा सकती है।

(iv) स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गो की महिलायें तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।

(v) उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा :
परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) उचित मूल्य की दुकान की रद्द अनुज्ञप्ति यदि अपील या पुनरीक्षण में हो और निम्न न्यायालय का आदेश स्थगन में हो तो ऐसी अनुज्ञप्ति की गणना रिक्त उचित मूल्य की दुकानों की सूची में नहीं की जायेगी।

(vii) रिक्त उचित मूल्य की दुकानों को भरने की प्रक्रिया लगातार चलनेवाली प्रक्रिया होगी और एक रिक्त उचित मूल्य की दुकान रिक्ति की तिथि से एक माह के अंदर भरी जायेगी।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवधारित आरक्षण रोस्टर विन्दु के अनुसार रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के आरक्षण रोस्टर पर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन करा कर और कम–से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

(ix) अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा के आधार पर होगा, और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

(x) महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ एवं स्वयं सहायता समूहों के नाम से उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी तथा इनका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।

(xi) उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा एवं विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति से, अपवाद स्वरूप पोषण क्षेत्र से बाहर लाभुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उचित मूल्य की दुकान की स्वीकृति दी जा सकेगी ।

**10. अनुकम्पा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति**

किसी अनुज्ञप्तिधारी की 58 (अन्ठावन) वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर, उसकी दुकान प्राथमिकता के आधार पर मृत अनुज्ञप्तिधारी की पत्नी/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्रवधू, और पुत्र की विधवा पत्नी को आवंटित की जा सकेगी। उपर्युक्त में एक से अधिक आश्रित हों, तो शेष से एक के पक्ष में हक छोड़ने के लिये शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के भीतर ही उसके आश्रित द्वारा आवेदन पत्र देने पर, उस पर विचार किया जायेगा। यदि स्वीकृत होती है, तो उचित मूल्य की दुकान की ऐसी अनुज्ञप्ति एक नई अनुज्ञप्ति होगी और आगे भी

अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति के लिये अनुज्ञेय होगी किन्तु मृत अनुज्ञप्तिधारी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में या सरकारी लाभ के पद पर हो, तो ऐसे परिवार को अनुकम्पा का लाभ नहीं मिलेगा।

**11. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ**

(i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।

(ii) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।

(iii) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(iv) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(v) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

(vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

12. **उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति प्रदान करने में जनसंख्या और आरक्षण के मानदंडों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।**

**13. फीस**

(i) **अनुज्ञप्ति फीस –**

(क) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित आवेदक को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 1000 (एक हजार) रू0 ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु सूचित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति फीस जमा कर दिए जाने पर अनूसूची –03 में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति दी जायेगी।

(ख) पूर्व आदेश, 2001 के प्रावधानों के अधीन निर्गत अनुज्ञप्ति इस आदेश के अधीन वैध मानी जायेगी एवं इस प्रकार की अनुज्ञप्ति रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी को अपनी अनुज्ञप्ति इस आदेश के प्रावधानों के अधीन अनुज्ञप्ति फीस 1000 (एक हजार) रू0 ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराकर इस आदेश के प्रारम्भ होने की तिथि से छह माह के भीतर रूपान्तरित कराना होगा।

(ii) **अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस –**

(क) अनुज्ञप्ति का नवीकरण पाँच वर्ष के लिये किया जायेगा। अनुसूची – 04 में आवेदन पत्र नवीकरण फीस 500 (पाँच सौ) रू0 ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने के साथ प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकृत की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराना होगा। इसके बाद नवीकरण फीस के साथ–साथ 100 (एक सौ) रू0 प्रतिमाह की दर से विलम्ब फीस देय होगा तथा अधिकतम आठ माह के भीतर विलम्ब फीस के साथ अनुज्ञप्ति नवीकृत की जा सकेगी।

(ख) यदि अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने की तिथि के एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं करायी जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा बंद कर दी जायेगी।

(ग) निलम्बन की अवधि में अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा। निलम्बन समाप्ति के पश्चात् एक मुश्त नवीकरण फीस लेकर अनुज्ञप्ति को नवीकृत किया जायेगा।

(iii) **अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति निर्गत करने का फीस –**

यदि कोई अनुज्ञप्ति विरूपित, गुम या नष्ट हो जाय, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तुरंत अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ 200 (दो सौ) रू0 की फीस ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने पर, ''अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति'' अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।

**14. उचित मूल्य की दुकान का संचालन तथा अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व**

(i) अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं को एक से अधिक किस्तों में लेने की अनुमति देगा।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात् राशन कार्ड को प्रतिधारित नहीं करेगा।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विहित खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्ड धारक को उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों का विक्रय करेगा।

साथ ही अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमैमो (अनुसूची–05 के अनुसार) देगा जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेगा । कैशमैमो की कार्बन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या और पता भी मुद्रित रहेगा।

(v) अनुज्ञप्तिधारी दुकान के बाहर सहज दृश्य स्थान पर सूचना पट्ट तथा दुकान के भीतर मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट प्रदर्शित करेगा, जिसमें दैनिक आधार पर खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं की हकदारी, निर्गम का परिमाण, खुदरा निर्गम मूल्य, उचित मूल्य की दुकान को खोलने और बन्द करने का समय, मास के दौरान प्राप्त खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का स्टाक, खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का आदिशेष और इतिशेष, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा की बावत शिकायतों के निपटान के लिए संबंधित पदाधिकारी का टेलिफोन नं0 और पता तथा टोल फ्री हेल्पलाईन नं0 आदि की सूचनायें सन्निहित होंगी तथा सूचना पट्ट अनुसूची– 06 के अनुसार एवं मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट अनुसूची– 07 के अनुसार दुकान की दीवाल पर पेंट कराकर अथवा बोर्ड बनाकर प्रदर्शित करेगा।

(vi) अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारकों के अभिलेखों अर्थात् स्टॉक रजिस्टर, निर्गम या विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत विहित फार्मेट में करेगा, जिसमें अनुक्रमिक रीति में इलैक्ट्रानिकी फार्मेट भी रहेगा।

(vii) अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान के सहज दृश्य स्थान पर उठाव के समय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं के सीलबंद नमूनों का प्रदर्शन करेगा।

(viii) निरीक्षी पदाधिकारियों के निदेश के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं के आवंटन और वितरण से संबधित बहियों और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जैसा कि निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा मांगी जाय।

(ix) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक मास के अंत में उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्नों के वास्तविक वितरण तथा शेष स्टॉक के लेखों का प्रतिवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को स्थानीय मुखिया या नगर निकाय के प्रमुख, जैसा मामला हो, तथा स्थानीय सतर्कता समिति के किसी एक सदस्य के सत्यापन के साथ समर्पित करेगा, और उसकी एक प्रति पंचायत या नगर निकाय को भेजेगा।

(x) अनुज्ञप्तिधारी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित विनिर्दिष्ट समय के अनुसार उचित मूल्य की दुकान को खोलेगा और बंद करेगा।

(xi) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में यथावर्णित कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करेगा।

(xii) अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची –08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूची–09 में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान के कारोबार में सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते हैं।

(xiii) (क) उचित मूल्य की दुकान से सम्बद्ध कोई राशन कार्ड धारक जो दुकान से संबंधित अभिलेखों का उद्धहरण प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, अनुज्ञप्तिधारी से 10 (दस) रू0 की विहित फीस तथा दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से अतिरिक्त फीस के साथ लिखित अनुरोध करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन पत्र एवं अपेक्षित फीस राशि प्राप्त होने की तिथि से 14 दिनों के भीतर उन अभिलेखों का उद्धहरण संबंधित राशन कार्डधारी को उपलब्ध करेगा।

(ख) उचित मूल्य की दुकान से सम्बद्ध सभी अभिलेखों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कम–से–कम पाँच वर्षो तक सुरक्षित रखा जायेगा एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही इनको नष्ट किया जायेगा।

(ग) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दुकान से संबंधित सभी अभिलेख उप खंड (ख) के अनुसार सुरक्षित रखे जा रहे हैं तथा लिखित अनुरोध एवं विहित फीस प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राशन कार्डधारी को अभिलेखों के उद्धहरण उपलब्ध करायी जा रही हैं। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन प्रावधानों के अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस बावत प्रतिवेदन देगा और इस सम्बन्ध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(xiv) अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा विकसित सूचना प्राद्यौगिकी तंत्र पर आधारित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली के उपयोग में आवश्यक सहयोग करेगा।

(xv) अनुज्ञप्तिधारी जन वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं सुधार कार्यक्रम (यथा राशन कूपन, नकद हस्तांतरण इत्यादि) को पूर्णतया लागू करेगा।

(xvi) अनुज्ञप्तिधारी जन वितरण प्रणाली के सुधार एवं आधुनिकीकरण कार्य के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी सूचना प्राद्यौगिकी तंत्र स्थापित एवं लागू करने हेतु बाध्य होंगे।

**15. कार्यावधि एवं अवकाश**

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान मार्च से अगस्त तक 7.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक तथा सितम्बर से फरवरी तक 8.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक सप्ताह के प्रत्येक दिन खुली रहेगी।

(ii) अपरिहार्य कारणों से यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी एक सीमित अवधि के लिये अपनी दुकान का संचालन करने में असमर्थ हो, तो उसके द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन पत्र दिया जायेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान से सम्बन्धित उपभोक्ताओं को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करने के पश्चात् ही उसे अवकाश में रहने की अनुमति दे सकेगा। एक बार में अवकाश की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी।

**16. अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण**

उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं की जायेगी। उचित मूल्य की दुकान या उसकी अनुज्ञप्ति में साझेदारी की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**17. उचित मूल्य की दुकान के व्यवसाय स्थल में परिवर्तन**

(i) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में वर्णित आवश्यक वस्तुओं के भंडारण स्थल या व्यवसाय स्थल में परिर्वतन चाहता है, तो वह इसके लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को कारण बताते हुए एवं परिवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान सम्बन्धी विवरण अंकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करेगा।

(ii) अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक पक्ष के भीतर आवेदन पत्र स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का निर्णय लेंगे। यदि आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति एवं कार्यालय की अनुज्ञा पत्र पंजी में आवश्यक परिर्वतन करने हेतु आदेश देंगे।

(iii) यदि एक पक्ष के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी परिवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थान पर जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति से आवश्यक वस्तुओं का भंडारण या व्यवसाय कार्य कर सकेगा।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी आपातकालीन स्थिति (यथा भूकम्प या बाढ़ या अन्य कारणों जैसे मकान के अचानक क्षतिग्रस्त हो जाना इत्यादि) में अनुज्ञप्ति में वर्णित स्थल से भिन्न स्थल पर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण या व्यवसाय बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के स्थानांतरित कर सकेगा और अनुज्ञापन पदाधिकारी को 72 घंटों के भीतर इस बात की लिखित सूचना देगा तथा तब प्रस्तावित परिवर्तन उप खंड i, ii एवं iii के अनुसार प्रभावी किया जा सकेगा।

**18. अनुज्ञप्तिधारी को देय कमीशन या मार्जिन मनी का भुगतान**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अर्न्तगत अनुज्ञप्तिधारी को देय कमीशन या मार्जिन मनी का आवश्यक वस्तुओं के उठाव/वितरण की समाप्ति के दो माह के भीतर भुगतान कराने का दायित्व अनुज्ञापन प्राधिकारी का होगा।

**19. उचित मूल्य की दुकान की सम्बद्धता**

(i) अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या अनुज्ञप्ति के रद्द होने या अन्य कारणों से आवश्यक वस्तुओं का आवंटन बंद होने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ऐसी दुकानों के उपभोक्ताओं को अनुज्ञापन प्राधिकारी की सहमति से निकटतम उचित मूल्य की दुकान से एकरूपता को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध करेंगे ताकि ऐसी दुकान के उपभोक्ता खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की अबाधित आपूर्ति प्राप्त कर सकें।

(ii) सामान्य परिस्थिति में दुकान से उपभोक्ताओं की सम्बद्धता में परिर्वतन नहीं किया जायेगा।

(iii) उचित मूल्य की दुकान के साथ सम्बद्ध सभी प्रकार के उपभोक्ताओं (यथा अन्त्योदय, पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी, किरासन तेल के उपभोक्ता इत्यादि) को एक ही उचित मूल्य की दुकान से सम्बद्ध किया जायेगा।

**20. निरीक्षण**

(i) जिला पदाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति)/अपर समाहर्त्ता, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना, सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना, पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (जैसे अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इत्यादि) एवं आपूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों, राज्य खाद्य निगम के गोदामों, किरासन तेल के थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों तथा SIO का निर्गम एवं वितरण, डोर स्टेप डिलेवरी के अन्तर्गत खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिदान और जी0पी0एस0 के नियमित निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत होंगे ।

(ii) जिला पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत उप कंडिका (i) में उल्लिखित पदाधिकारियों के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का तीन माह में कम–से–कम एक बार तथा निर्गम केन्द्रों जैसे राज्य खाद्य निगम के गोदाम/किरासन तेल के थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का प्रत्येक माह में कम–से–कम एक बार निरीक्षण कराने हेतु रोस्टर बनायेंगे और रोस्टर के अनुसार निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) सभी तरह के निरीक्षणों के प्रतिवेदनों के संधारण में निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा विभाग द्वारा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र पर आधारित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली का भी उपयोग किया जायेगा तथा किसी प्रकार की अनियमितता संज्ञान में आने पर प्रतिवेदन की एक प्रति सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को अविलंब उपलब्ध करायी जायेगी। अनुज्ञापन प्राधिकारी इस तरह का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एक माह के भीतर कार्रवाई करने हेतु जवाबदेह होंगे।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के अधीन सृजित प्रतिवेदन/साक्ष्य को वैध दस्तावेज माना जायेगा तथा इस प्रणाली के द्वारा सृजित प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़–छाड़ करने वाला कर्मी अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगा।

**भाग– 3**

**पात्र गृहस्थियों की पहचान, राशन कार्ड, खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का उठाव एवं वितरण**

**21. पात्र गृहस्थियों की पहचान एवं राशन कार्ड**

(i) इस आदेश के अधीन, अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में राशन कार्ड निर्गत करने या राशन कार्ड में उपांतरण करने के लिए आवेदन प्राप्त करने, रजिस्ट्रीकरण करने, अभिस्वीकृति देने एवं प्रसंस्करण करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत पात्र आवेदकों को आवश्यक जांच और सत्यापन के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर राशन कार्ड जारी करेंगे।

(iii) अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड केवल तभी जारी करेंगे जब विद्यमान राशन कार्ड खो जाए या नष्ट या विरूपित होने के कारण उपयोग के योग्य न रह जाए या पूर्णतया समाप्त हो जाय या जब राशन कार्ड में उपांतरणों के लिये अनुरोध किया जाय।

**22. उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का आवंटन**

(i) अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का आवंटन करेंगे तथा आवंटन करते समय शेष स्टॉक को, यदि कोई हो, जो उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के पास अवितरित पड़ा हो, को पश्चातवर्ती आवंटनों की गणना में लेंगे।

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी उचित मूल्य की दुकान को किए गए आवंटन आदेश की एक प्रति स्थानीय प्राधिकारी, निगरानी समितियों और उचित की दुकानों के कार्यो के अनुश्रवण के लिये राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य निकाय को देना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्नों का परिदान प्राप्त करने के पूर्व, आपूर्ति निरीक्षक के रैंक से अन्यून रैंक के किसी पदाधिकारी को नियुक्त करेंगे जो बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा नियुक्त अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से, जारी करने के लिये आशयित खाद्यान्नों के स्टॉक का विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों की पुष्टि करने के लिए निरीक्षण करेगा तथा इस संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् निगम, गोदाम से खाद्यान्नों के डिस्पैच के पूर्व स्टॉकवार सील किया हुआ संयुक्त रूप से आहरित नमूना, उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शन के लिये जारी करेगा तथा इसके सीलबंद नमूना का एक नकल भावी निदेश के लिये बिहार राज्य खाद्य निगम के पास रखी जाएगी।

(iv) आहरित किये जाने वाले नमूने की मात्रा, नमूनों के प्रतिधारण की अवधि और नमूने का निपटान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगा।

**23. खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं के वितरण का मासिक प्रमाण पत्र**

अनुमंडल पदाधिकारी उचित मूल्य की दुकान के स्वामी से खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं के उठाव एवं वितरण के सम्बन्ध में मासिक प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से यथास्थिति स्थानीय मुखिया या नगर निकाय के प्रमुख तथा स्थानीय निगरानी समिति के किसी एक सदस्य के सत्यापन के साथ प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

**भाग–4**

**शास्ति**

**24. शास्ति**

इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करनेवाला (अनुज्ञप्तिधारी सहित) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–7 के अधीन दंड का भागी होगा।

**25. अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई**

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित स्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्व कार्रवाई की जायेगी :–

अनुज्ञप्तिधारी जो,

(क) नियत अवधि के दौरान महीने भर अपनी दूकान खुला नहीं रखता हो;

(ख) बी0पी0एल0 परिवारों को ठीक, बी0पी0एल0 की दरों पर ही खाद्यान्न उपलब्ध करने में असफल रहता हो;

(ग) अपने पास बी0पी0एल0 गृहस्थियों का राशन कार्ड रखता हो;

(घ) बी0पी0एल0 राशन कार्डो में मिथ्या प्रविष्टियाँ करता हो;

(ड़) कालाबाजारी में लगा हो अथवा खुले बाजार में खाद्यान्नों को भेज रहा हो अथवा अन्य व्यक्ति/संगठन के राशन दूकानों को दे देता हो, अपने को अपनी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए दायी करेगा। संबंधित प्राधिकारी इस विषय में लापरवाही नहीं दिखाएंगे।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश उचित दर दुकान से आपूर्ति की जा रही अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

**26. अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों को लागू कराने के साथ–साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधीन उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को अनुज्ञप्ति निर्गत/नवीकृत करने, पहचान पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त्तों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन कराने, अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी।

निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सिर्फ अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ही उचित मूल्य की दुकान के स्वामी से कारणपृच्छा पूछने की कार्रवाई की जायेगी।

**27. अनुज्ञप्ति रद्दकरण**

(i) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा अनुज्ञप्ति में समनुदेशित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का अनुपालन करने में विफल होता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द की जायेगी और अनुज्ञप्ति का यह रद्दकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन उसके विरूद्ध की गयी या की जानेवाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(ii) अनुज्ञप्ति रद्दकरण का कोई आदेश तबतक नहीं किया जायेगा जबतक कि अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति रद्दकरण के प्रस्ताव के विरूद्ध अपने मामले के बारे में कहने का पर्याप्त अवसर न दे दिया गया हो।

(iii) इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का निपटान यथासंभव इसके संज्ञान में आने के दो माह के भीतर कर दिया जायेगा।

**28. अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज के होने के पश्चात कार्रवाईः**

यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन या किसी अन्य आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जाती है और वह जेल भेज दिया जाता है या फरार हो जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दी जायेगी तथा सिविल प्रोसिज्योर कोड (सी0पी0सी0) के अनुसार कारण–पृच्छा का तामिला कराने के बाद और विक्रेता को इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देकर, यथासंभव, 180 दिनों के अन्दर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

**29. दोषसिद्धि का परिणाम**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 के अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में या किसी अन्य अपराध में किसी अनुज्ञप्तिधारी को सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर देगा;

परन्तु जहाँ ऐसी दोषसिद्धि अपील या पुनरीक्षण में अपास्त कर दी जाती है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पुनर्स्थापित कर दी जायेगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के अपास्त करने के आदेश के पारित होने की तिथि के एक माह के भीतर उसकी एक अभिप्रमाणित प्रति एवं एक नयी अनुज्ञप्ति के फीस के समतुल्य अनुज्ञप्ति फीस का ट्रेजरी चालान से भुगतान करने के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है।

**30. अनुज्ञप्ति के निलम्बित/रद्द होने के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं का वितरण**

अनुज्ञप्ति निलम्बित अथवा रद्द होने के समय अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध खाद्यान्न/आवश्यक वस्तुओं को आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा सम्बन्धित दुकान से सम्बद्व उपभोक्ताओं के बीच प्रचलित दर एवं मात्रा में वितरित करा कर, प्राप्त–राशि अनुज्ञप्तिधारी/उसके प्रतिनिधि को लौटा दी जायेगी :

परन्तु 30 दिनों के अन्दर किसी अपरिहार्य कारणों से आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं हो पाता है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक के प्रतिवेदन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अवधि का विस्तार किया जायेगा, जो अधिकतम 60 दिनों का होगा।

**भाग–5**

**तलाशी और अभिग्रहण**

**31. तलाशी और अभिग्रहण की शक्तिः**

(क) निम्नलिखित पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार में उचित मूल्य की दुकान या किसी परिसर में, जो उचित मूल्य दुकान के कारबार से संबंधित हो, प्रविष्ट, निरीक्षण, जाँच, तलाशी एवं अभिग्रहण करने के लिये इस आदेश के अधीन प्राधिकृत होंगे :–

(i) विभाग के प्रधान सचिव, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव;

(ii) सभी प्रमंडलीय आयुक्त;

(iii) सभी पुलिस उप महानिरीक्षक

(iv) सभी जिला पदाधिकारी;

(v) सभी पुलिस अधीक्षक

(vi) सभी अपर जिला दण्डाधिकारी;

(vii) सभी अपर समाहर्त्ता;

(viii) सभी उप निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति;

(ix) सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी;

(x) सभी अनुमंडल पदाधिकारी;

(xi) सभी पुलिस उपाधीक्षक

(xii) सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी;

(xiii) प्रभारी दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता, विभाग के द्वारा गठित;

(xiv) सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी;

(xv) विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना;

(xvi) उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना;

(xvii) सभी सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना;

(xviii) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी;

(xix) सभी अंचल अधिकारी;

(xx) सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी;

(xxi) सभी पणन पदाधिकारी;

(xxii) सभी आपूर्ति निरीक्षक;

**(ख)** प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों की जाँच या माँग कर सकेगा, जो उसके द्वारा जाँच के लिए आवश्यक समझे जाय और वह अपने समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों या दस्तावेजों से उद्धरण या प्रतियां ले सकेगा।

**(ग)** प्राधिकृत पदाधिकारी को कोई परिवाद के प्राप्त करने पर या अन्यथा यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश या केन्द्र के ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015'' के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इन आदेशों का अनुपालन करने की दृष्टि से वह उचित मूल्य की दुकान या किसी परिसर में, जो उचित मूल्य की दुकान के कारबार के संव्यवहार से संबंधित है, में प्रविष्ट हो सकेगा, उनकी जाँच या तलाशी कर सकेगा।

**(घ)** प्राधिकृत पदाधिकारी खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की लेखाओं या स्टाक की ऐसी लेखा बहियों की तलाशी, अभिग्रहण कर सकेगा या उन्हें हटा सकेगा, जहां ऐसे प्राधिकारी को विश्वास करने का कारण हो कि इनका उपयोग ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015" अथवा इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन में किया जा रहा है या किया जाएगा।

**(ड़)** उप खंड (घ) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण करने वाला प्राधिकृत पदाधिकारी जिला पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को, की गयी तलाशी और उसके द्वारा अभिगृहीत किये गये खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के स्टॉक के ब्योरों की जानकारी देगा।

**(च)** तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–100 के उपबंध, जहाँ तक हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।

**भाग 6**

**32. अपील**

(i) सभी जिला पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस आदेश के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अपीलीय प्राधिकार नियुक्त किया जाता है :

परन्तु ''सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001'' के अधीन नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील को ऐसे निपटाया जायेगा मानो कि यह आदेश नहीं किया गया था।

(ii) किसी राशन कार्ड को जारी करने या उसका नवीकरण करने से इंकार करने या राशनकार्ड को रद्द करने से संबंधित पदाधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जिला पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा ।

(iii) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी की अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति रद्द करने से संबंधित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जिला पदाधिकारी के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा तथा जिला पदाधिकारी, यथासाध्य, साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेंगेः

परन्तु जिला पदाधिकारी द्वारा एक बार अपील का निपटारा किये जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी की अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने का समय, जिला पदाधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश की तारीख से, प्रारम्भ होगा।

(iv) किसी अपील का तबतक निपटारा नहीं किया जाएगा, जबतक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर न प्रदान कर दिया जाय ।

(v) लंबित अपील का निपटारा होने तक अपीलीय प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि अपील के अधीन आदेश उस अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगा, जो प्राधिकारी उप खंड (iv) के अधीन अन्य पक्षकार को सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के लिए, आवश्यक समझे या जबतक कि अपील का निपटारा न हो जाए, इसमें से जो भी पहले हो।

(vi) जिला पदाधिकारी के द्वारा साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा नहीं किये जाने पर अथवा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर किया जा सकेगा। पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा दो माह के भीतर किया जाएगा।

(vii) विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, स्वप्रेरणा से या किसी के अभ्यावेदन पर, प्रमंडलीय आयुक्त या जिला पदाधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस आदेश के उपबंधों के अधीन किये गये आदेश से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकेंगे और यदि उनको समाधान हो जाता है कि प्रमंडलीय आयुक्त या जिला पदाधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा :–

(क) ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया गया है, जो उसे प्रदत्त नहीं की गयी हैं;

(ख) अपनी शक्तियों का प्रयोग तथ्यों पर बिना विचार किए अवैध रूप से किया गया है;

(ग) अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रहा है, तब ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे, जिसे वह उचित समझें।

## भाग – 7
## विविध

**33. छूट**

केन्दीय ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015'' या इस आदेश के प्रावधान, निम्नलिखित द्वारा या उनके निमित्त आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिये संचयन पर लागू नहीं होंगे :–

(क) केन्द्रीय सरकार या केन्द्र सरकार के गोदाम;

(ख) राज्य सरकार या राज्य सरकार के गोदाम;

(ग) राज्य सरकार के अधिकारी, विभाग या बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं उसके गोदाम (उचित मूल्य की दुकानों को छोड़कर);

(घ) केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सहकारी समिति के गोदाम ( उचित मूल्य की दुकानों के गोदामों को छोड़कर );

(ङ) ग्राम पंचायत भवन (उचित मूल्य की दुकानों के गोदामों को छोड़कर)।

**34. निरसन एवं व्यावृत्ति**

(i) केन्द्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अन्तर्गत अधिसूचित विभागीय अधिसूचना जी0एस0आर0–1 दिनांक 20 फरवरी, 2007, जी0एस0आर0–3, दिनांक 21 फरवरी, 2007, अधिसूचना ज्ञापांक–5738 दिनांक 23 जून, 2011, अधिसूचना ज्ञापांक–61 दिनांक 5 जनवरी, 2015, अधिसूचना ज्ञापांक–3517 दिनांक 30 अप्रैल, 2015 एवं अधिसूचना ज्ञापांक–5819 दिनांक 23 जुलाई, 2015 द्वारा निर्गत आदेश एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए उक्त पूर्व अधिसूचनाओं के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कार्रवाई इस आदेश के अधीन किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई मानी जायेगी, मानो यह आदेश तत्समय प्रवृत्त था।

(iii) उचित मूल्य की दुकान के अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध लम्बित वैसे सभी मामले, जो इस आदेश के प्रारम्भ होने के पूर्व से लम्बित हैं, का निष्पादन उन आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा जिन आदेशों के प्रावधानों के अधीन मामले प्रारम्भ किये गये थे।

(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस, अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति निर्गत करने की फीस, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य संचालन, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य अवधि एवं अवकाश, अनुज्ञप्ति का निलंबन तथा रद्दकरण, तलाशी एवं जब्ती, शास्ति, अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्द होने के पश्चात आवश्यक वस्तुओं का वितरण, अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण, एकरारनामा, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र, उचित मूल्य की दुकान के व्यवसाय स्थल का परिवर्तन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दोषसिद्धि का परिणाम तथा अपील/पुनरीक्षण से सम्बन्धित इस आदेश के प्रारंभ होने के पूर्व में निर्गत पत्र, परिपत्र, आदेश एवं निदेश एतद्द्वारा निरसित समझे जायेंगे, परन्तु ऐसे निरसन के होने पर भी, ऐसी कोई भी जाँच, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत किया जा सकेगा और कोई भी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानों उक्त आदेश निरसित नहीं किया गया हो।

(v) उचित मूल्य की दुकानों के अनुश्रवण के सम्बन्ध में पूर्व में, समय–समय पर, निर्गत परिपत्र, जो इस आदेश या केन्द्रीय ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015'' के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों, लागू रहेंगे एवं इस आदेश के अधीन अधिसूचित समझे जायेंगे।

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अधीन पात्र गृहस्थियों की पहचान, राशन कार्ड, खाद्यान्नों का परिदान, राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का उठाव एवं वितरण, अनुश्रवण, पारदर्शिता और जवाबदेही, और ''एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालन'' जिसमें लाभुकों, राशनकार्डो और अन्य डाटाबेसों का डिजिटाईजेशन शामिल है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र और उचित मूल्य की दुकान के स्वचालन से संबंधित निर्गत तथा निर्गत होने वाली अधिसूचना, आदेश एवं निदेश इस आदेश के अधीन भी अधिसूचित समझे जायेंगे।

**35. इस आदेश के अधीन सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण**

किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी चीज के लिये, जो इस आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

**36. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति**

राज्य सरकार ऐसा निदेश दे सकेगी, जो वह इस आदेश या केन्द्रीय ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015'' के सभी या किन्हीं उपबंधों का पालन के लिये आवश्यक समझे।

(सं0 प्र04–पी.डी.एस.–01/2015—1750)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एल0 पी0 सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

**अनुसूची – 1**

**बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)**

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. **आवेदक की विशिष्टियाँ –**
   (क) नाम
   (ख) पिता/पति का नाम
   (ग) शैक्षणिक योग्यता
   (घ) उम्र
   (ङ) स्थायी तथा वर्त्तमान पता
   (फोन नं./ मोबाईल नं./ ई–मेल पता के साथ)
   (च) कम्प्यूटर ज्ञान
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
   व्यवसाय स्थल का विवरण
   (क) मकान / दुकान संख्या :
   (ख) होल्डिंग नं0 :
   (ग) क्षेत्रफल :
   (घ) खाता नं0....., खेसरा नं0 :
   (ङ) चौहद्दी :
   (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   (छ) ग्राम / शहर :
   (ज) थाना :
   (झ) जिला
3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?
12. क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं ..... एतद्द्वारा घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

'' बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

**अनुसूची – 2**

**बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र**

**(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)**

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम .....
एवं कार्यालय का पता

1. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ**
   - (क) नाम एवं प्रकार :
   - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :
     (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
   - (ग) कार्यालय का पता :
   - (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
   - (ङ) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :
     (निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:

2. **उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-**

3. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :-**
   - (क) नाम :
   - (ख) पिता/पति का नाम :
   - (ग) स्थायी पता :
   - (घ) पत्राचार का पता :
   - (ङ) फोन नं0/मोबाईल नं0/ :
     ई-मेल पता :

4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें

5. **व्यवसाय स्थल का विवरण :-**
   - (क) मकान / दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0....., खेसरा नं0 :
   - (ड़) चौहद्दी :
   - (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम / शहर :
   - (ज) थाना :
   - (झ) जिला :
   - (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता:

6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें

8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :–
   (आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं ..... एतद्द्वारा ..... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक..... को पारित प्रस्ताव संख्या.....द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि .....की प्रबंध समिति ने ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है ।

| | |
|---|---|
| सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर | आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर |
| नाम | नाम |
| पदनाम | पदनाम |
| सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम | सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम |

## अनुसूची – 03

## बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र

अनुज्ञप्ति संख्या .....
चालान संख्या ..... तारीख .....
अनुज्ञप्तिधारी का नाम ..... , पिता/पति का नाम .....
पता .....

अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो

### कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

(1) ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अधीन श्री ..... को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय और वितरण को नियमित करने लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निम्नलिखित स्थान पर करने हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है –

भंडारण स्थान का विवरण

(क) खाता ..... खेसरा ..... होल्डिंग नं0 .....
(ख) दुकान का क्षेत्रफल .....
(ग) दुकान का विवरण .....
(घ) पता .....
(ड़) दुकान का चौहद्दी .....
(च) दुकान किराये पर है तो दुकान मालिक का नाम एवं पता .....

(2) आवश्यक वस्तुओं का विवरण

(i) खाद्यान्न
(ii) खाद्य तेल
(iii) किरासन तेल
(iv) चीनी
(v) दाल
(vi) अन्य वस्तुएं

(3) (क) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार यथाविहित भंडार एवं विक्रय पंजी और कैश मैमो संधारित करेगा । क्रमांक– 2 में वर्णित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा पंजियों में निम्न प्रकार प्रविष्टि करेगा –

(i) खाद्यान्न/दाल – क्विंटल या किलो ग्राम में
(ii) खाद्य तेल / किरासन तेल – लीटर में

(ख) अनुज्ञप्तिधारी भंडार और विक्रय पंजी में सभी प्रविष्टियां अगले दिन दुकान खुलने के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कर लेगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी प्रतिदिन दुकान निर्धारित अवधि में खुला रखेगा तथा ''सूचना पट्ट'' दुकान के बाहर एवं ''मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट'' दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा । ''सूचना पट्ट'' अनुसूची–7 के अनुसार तथा ''मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट'' अनुसूची– 8 के अनुसार दीवाल पर पेंट कराकर या बोर्ड बनाकर प्रदर्शित करेगा ।

(5) अनुज्ञप्तिधारी दुकान से सम्बद्व सभी प्रकार के उपभोक्ताओं (जैसे पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी, अन्त्योदय, किरासन तेल के उपभोक्ता इत्यादि) की सूची दुकान में संधारित करेगा ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर करेगा ।

(7) अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारियों को अपनी हकदारी की सीमा तक आवश्यक वस्तुओं को एक से अधिक किस्तों में आहरित करने देगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित कीमत से उच्चतर कीमत पर सम्बद्व उपभोक्ताओं को न बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा ।

(9) अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं की विक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमैमो (अनुसूची–06 के अनुसार) देगा, जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता तथा राशन कार्ड संख्या लिखकर उनका हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान लेगा । कैशमैमो की कार्बन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या, पता भी मुद्रित रहेगा ।

(10) अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की प्रविष्टि कर राशन कार्ड सम्बन्धित उपभोक्ता को लौटा देगा । अनुज्ञप्तिधारी किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का राशन कार्ड अपने पास नही रखेगा ।

(11) अनुज्ञप्तिधारी अपनी दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर उठाव के समय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं के सीलबंद नमूनों का प्रदर्शन करेगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारी कारबार से सम्बन्धित ऐसी सूचना, जिसकी उससे मांग की जाय, सही–सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो समय–समय पर राज्य सरकार, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जाय ।

(13) अनुज्ञप्तिधारी अपने दुकान में आवश्यक वस्तुओं का भंडार तथा लेखाओं/पंजियों का निरीक्षण करने के लिए तथा आवश्यक वस्तुओं का परीक्षण हेतु उनके नमूना लेने के लिये निरीक्षी पदाधिकारी को सभी उचित सुविधाएं उपलब्ध करेगा।

(14) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ''निरीक्षण पुस्तिका'' और ''शिकायत–सह–सुझाव पुस्तिका'' संधारित की जायेगी । अनुज्ञप्तिधारी, खाद्यान्न की गुणवत्ता मात्रा एवं राशन लेने के दौरान पेश आई अन्य समस्याओं के सन्दर्भ में शिकायतें/सुझाव दर्ज करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर ''शिकायत–सह–सुझाव पुस्तिका'' उपलब्ध करायेगा ।

(15) अनुज्ञप्तिधारी ''बिहार राशन कूपन योजना, 2006'' एवं ''बिहार किरासन तेल कूपन योजना, 2006'' के प्रावधानों का अनुपालन शत प्रतिशत करेगा ।

(16) अनुज्ञप्तिधारी उचित मूल्य की दुकान से संबंधित अनुज्ञप्ति तथा सभी प्रकार की पंजी/पुस्तिका, विलेख, उपभोक्ताओं की सूची आदि एवं कैशमेमो दुकान में ही रखेगा ।

(17) अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं को उचित स्थिति में रखेगा तथा नमी, वर्षा, कीटों, कृतकों, चिड़ियों, आग एवं ऐसे ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाली हानि से बचाने का आवश्यक उपाय करेगा ।

(18) अनुज्ञप्तिधारी उर्वरकों, कीटनाशी तथा विषैले रासायनिक पदार्थो के साथ खाद्यान्न का भंडारण नही करेगा ।

(19) अनुज्ञप्तिधारी सही वजन एवं माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये तराजू, बटखरा एवं अन्य उपकरण का वार्षिक सत्यापन माप तौल विभाग से ससमय कराकर दुकान में रखेगा ।

(20) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक मास के अंत में उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्नों के वास्तविक वितरण तथा शेष स्टॉक के लेखों का प्रतिवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को स्थानीय मुखिया या नगर निकाय के प्रमुख, जैसा मामला हो, तथा स्थानीय निगरानी समिति के किसी एक सदस्य के सत्यापन के साथ समर्पित करेगा, और उसकी एक प्रति पंचायत या नगर निकाय को भेजेगा।

(21) अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा वितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों को पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षण पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांगी जाय।

(22) (क) उचित मूल्य की दुकान के अभिलेखों का सारांश प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कोई सम्बद्ध राशन कार्ड धारक अनुज्ञप्तिधारी को न्यूनतम 10 (दस) रू0 एवं अधिकतम दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क की राशि, इनमें जो अधिक हो, के साथ लिखित अनुरोध करेगा। अनुज्ञप्तिधारी लिखित अनुरोध एवं शुल्क की राशि प्राप्त होने की तिथि से 14 दिनों के भीतर वांछित अभिलेखों का सारांश संबंधित राशन कार्डधारी को उपलब्ध करेगा।

(ख) उचित मूल्य की दुकान से सम्बद्ध सभी अभिलेखों को अनुज्ञप्तिधारी कम–से–कम पाँच वर्षो तक सुरक्षित रखेगा एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही इनको नष्ट कर सकेगा।

(23) अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र पर आधारित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली के उपयोग में आवश्यक सहयोग करेगा।

(24) अनुज्ञप्तिधारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं सुधार कार्यक्रम (यथा राशन कूपन, नकद हस्तांतरण आदि) को पूर्णतया लागू करेगा।

(25) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र स्थापित एवं कार्यान्वित करने हेतु जवाबदेह होगा ।

(26) यह अनुज्ञप्ति ..... तक विधिमान्य होगी ।

स्थान –

तारीख –

(अनुज्ञापन प्राधिकारी)
नाम, पदनाम एवं कार्यालय मुहर

## अनुसूची – 04

''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या ..... के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

.....

महोदय,

मैं '' बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के उपबन्धों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या ..... के नवीकरण के लिये, इसके द्वारा आवेदन करता हूँ । अपेक्षित विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं :–

(1) चालान संख्या ..... तारीख ..... द्वारा
निक्षिप्त नवीकरण फीस ...../ विलम्ब फीस .....

(2) अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि –

(3) अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्व की गयी कार्रवाई अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई यदि कोई हो, का विवरण –

मैं ..... इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही है तथा उनमें कुछ भी नही छिपाया गया है ।

स्थान :

तारीख :

अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर

**अनुसूची -05**

**उपभोक्ता को दिये जाने वाले कैशमेमो का नमूना**

| |
|---|
| **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार** |
| **कैशमेमो** |
| दिनांक– क्रम संख्या– |
| उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का नाम, पता, एवं अनुज्ञप्ति संख्या– |
| उपभोक्ता का नाम एवं पता – |
| राशनकार्ड संख्या ....... |
| राशन कार्ड का प्रकार ......... |
| (पी0एच0एच0/अन्त्योदय/अन्नपूर्णा/किरासन तेल) |
| इकाई ............. |
| आपूर्ति की गयी वस्तु का नाम दर ....... |
| वजन/ माप – |
| प्राप्त राशि – |
| उपभोक्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का हस्ताक्षर |

**टिप्पणी** :- आपूर्ति किये गये प्रत्येक वस्तु के लिए कैशमेमो निर्गत किया जायेगा । उस पर कार्डधारी का हस्ताक्षर/ अंगूठा का निशान लिया जायेगा ।

**अनुसूची – 06**

**बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान**
**(खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार)**
**"सूचना पट्ट"**

**दिनांक – ............**

1. उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का नाम
2. पता :
3. वार्ड संख्या :
4. अनुज्ञप्ति संख्या :
5. दुकान खुला रहने का समय :

**नोट**

1. बोर्ड का न्यूनतम आकार – 3′ × 2′ जिसका आधार पीला रंग का होगा तथा उस पर काला रंग से प्रविष्टि की जायेगी तथा दुकान के बाहर प्रदर्शित की जायेगी।
2. उचित मूल्य की दुकान सरकार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार खुली रहेगी।

अनुसूची – 07

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार

**मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट**

दिनांक :

1. उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का नाम :
2. अनुज्ञप्ति संख्या :
3.

| दुकान से सम्बद्ध राशन कार्ड का प्रकार | सम्बद्ध राशन कार्डों की संख्या/इकाई | आवंटन (क्वींटल–किलोग्राम/लीटर) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | गेहूं | चावल | किरासन तेल | अन्य |
| पी0एच0एच0 | | | | | |
| अन्त्योदय | | | | | |
| अन्नपूर्णा | | | | | |
| किरोसिन तेल | | | | | |
| अन्य | | | | | |

| क्रम संख्या | वस्तु का नाम | आज का भंडार क्वीं/किलो/लीटर | आज की प्राप्ति | कुल | दर प्रति किलो/लीटर | प्रति कार्ड/इकाई देय मात्रा | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी0एच0एच0 गेहूं | | | | | | |
| 2 | पी0एच0एच0 चावलं | | | | | | |
| 3 | अन्त्योदय गेहूं | | | | | | |
| 4 | अन्त्योदय चावल | | | | | | |
| 5 | अन्नपूर्णा गेहूं | | | | | | |
| 6 | अन्नपूर्णा चावल | | | | | | |
| 7 | चीनी | | | | | | |
| 8 | किरोसिन तेल | | | | | | |
| 9 | अन्य | | | | | | |

4. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का पदनाम, पता, फोन/ मोबाईल नं0 –
5. टौल फ्री हेल्पलाईन नं0 –
6. ''शिकायत–सह–सुझाव पुस्तिका" दुकानदार (डीलर) के पास उपलब्ध है ।

**नोट –**

(1) मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट का न्यूनतम आकार – $4' \times 3'$ का होगा ।

(2) मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट का आधार काला रंग से तथा उस पर उजला रंग से सभी प्रविष्टियां लिखी जायेंगी ।

(3) मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट दुकान के अंदर दीवाल पर पेन्ट कराकर अथवा बोर्ड बनाकर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

**अनुसूची - 08**

**अनुज्ञप्तिधारी के पहचान पत्र का नमूना**

**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार**

कार्यालय का नाम :-

पहचान पत्र संख्या-

1. उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का नाम :-
2. अनुज्ञप्ति संख्या :
3. पता :

अनुज्ञप्तिधारी का फोटो

(स्थानीय मुखिया/वार्ड आयुक्त/ वार्ड पार्षद द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा।)

4. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर :
5. विधि मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की अगली तिथि तक)

| आपूर्ति निरीक्षक का हस्ताक्षर | पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर | अनुज्ञापन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर |
|---|---|---|

---

**अनुसूची - 09**

**अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के पहचान पत्र का नमूना**

**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार**

कार्यालय का नाम .....

पहचान पत्र संख्या .....

1.उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का नाम :-
2.अनुज्ञप्ति संख्या :-
3. पता :-

अनुज्ञप्तिधारी का फोटो

मनोनीत प्रतिनिधि का फोटो

(स्थानीय मुखिया/वार्ड आयुक्त/ वार्ड पार्षद द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा)

4. मनोनीत प्रतिनिधि का नाम एवं पता :-

5. मनोनीत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर :-
6. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर :-
7. विधिमान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की अगली तिथि तक)

| आपूर्ति निरीक्षक का हस्ताक्षर | पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर | अनुज्ञापन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर |
|---|---|---|

*The 10th March 2016*

G.S.R. 03, dated 14th March 2016—In exercise of power conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) has issued "Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015" by GSR 213 (E) dated 20th March, 2015. In reference to the clauses 04,09,10,11,12,13,14 and 15 of the "Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015" read with Central Notification SO 681 (E) dated 30 November,1974 and the order published under GSR 800 dated 9th June, 1978 and exercising the powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following orders for regulating the ration cards, licensing and regulation of fair price shops, operation of fair price shops, monitoring, transparency and accountability, penalty, powers of search and seizure and appeal, other related provisions.

## Part - 1
## Preliminary

**1. Short title, extent and commencement**

(i) This Order may be called the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force on the date of its notification.

2. **Definitions**

(a) 'Act' means the Essential Commodities Act,1955 ( the Central Act 10 of 1955);

(b) **'Annex'** means an Annex appended to this Order;

(c) **'Fair Price Shop Owner'** means a person and it includes a cooperative societies of women/cooperative societies of ex-servicemen, educated unemployed whose name a shop has been licensed to distribute essential commodities under the Targeted Public Distribution System;

(d) '**Food Security Act'** means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

(e) **'Local Authority'** means a panchayat, municipality, district board, cantonment board, town planning authority, the village committee or any other body, whatever name called, which is authorized under the Constitution or any other law for the time being in force for self-governance or any other authority or body vested with the control and management of civic services, within a specified area;

(f) **Words and expressions** not defined in this Order but defined in the Act or the Food Security Act or the Central Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts or Order;

(g) "**Fair Price Shop"** means a place licensed by an order under section 3 of the Act to store and distributes essential commodities for and to the ration card holders of public distribution system and to keep related account books;

**3.** All works under the targeted public distribution system licensing of fair price shops and everything related to it, and identification of eligible households, ration cards, and everything as regard to ensuring supply and availability of food grains and other commodities shall now be regulated by the provisions contained in this Order from the date of its commencement.

**Part - 2**

**Licensing of Fair Price Shops**

**4. Licensing Authority-The Sub Divisional Officer** under his territorial jurisdiction shall be the licensing authority who shall issue, regulate and control license to fair price shops under the provisions of this Order. The licensing powers of the licensing authority shall not be delegatable.

**5. District Level Selection Committee and Issue of License** - The applicants, for a fair price shop license, shall submit their applications to the concerned licensing authority. The individual, in schedule 01, Self Help Groups and Cooperative Societies of Women/Ex-Serviceman in schedule 02 shall submit their applications. The licensing authority shall get the applications examined and inquired into by the Block Supply Officer/Supply Inspector, and with his recommendation shall submit it to the District Level Selection Committee for consideration.

The Selection Committee shall consist of the following officers :-

Chairman – The District Magistrate

Secretary – Additional District Magistrate (Supply) for the Patna district, and for the other districts District Supply Officer.

Members - (a) The Sub Divisional Officer of the concerned Subdivision.
(b) A scheduled caste/scheduled tribe officer posted in the district.
(c) The District Co-operative Officer of the district.

The license of a fair price shop shall be issued by the licensing authority to the candidate selected by the committee after realizing the license fee through treasury challan from him. The license shall be issued in schedule 03. An application for a fair price shop shall be disposed off within a month from its receipt.

**6. Reservation**

(i) The reservation in vacancies of the fair price shops on the date of commencement of this Order shall be as follows:-

| | |
|---|---|
| Scheduled Caste | 16 (sixteen) percent |
| Scheduled Tribe Caste | 01 (one) percent |
| Extremely Backward Classes | 18 (eighteen) percent |
| Backward Classes | 12 (twelve) percent |
| Women belonging to Backward Classes - | 03 (three) percent |

(ii) If there is no suitable scheduled tribe applicant for the fair price shop reserved for scheduled tribe candidate, it shall be filled up by a scheduled castes applicant and if there is no suitable applicant for the fair price shop reserved for extremely Backward Classes candidate, it shall be filled up by a backward class candidate or vice versa.

(iii) The handicapped persons shall be given reservation in accordance with the General Administration Department's provisions related to the reservation for the handicapped persons in appointments.

(iv) Women belonging to backward classes, extremely backward classes, scheduled tribes and scheduled castes shall be treated to be included in Women of Backward Classes.

**7. The reservation criteria shall be enforced at Subdivision level, and the ideal reservation roster point issued by the General Administration Department shall be applicable.**

**8. Priorities in allotment of fair price shop -** Except the compassionate ground cases, the priorities in allotment of fair price shops shall be as follows:-

**(i) Self Help Groups;**

(ii) **Cooperative Societies of Women;**

**(iii) Cooperative Societies of Ex- Servicemen;**

**(iv) Educated Unemployed persons;**

**(v) The resident of a panchayat or ward shall be given priority.**

**9. The following facts shall be considered in allotting a fair price shop by the Selection Committee**

(i) There shall be one fair price shop for the population of 1350 in urban areas and for the population of 1900 in rural areas on the basis of the census data prevailing at the time.

(ii) It shall be ensured that a consumer should not cover a maximum distance of more than two kilometer in reaching his fair price shop both in rural and urban areas.

(iii) In distant and difficult communication areas, especially in the areas of the scheduled castes/tribes, a fair price shop may be allotted for a population of 1000.

(iv) The self help groups or cooperative societies of women/ex-servicemen shall be deemed to belong to in that class (such as scheduled caste, scheduled tribe, extremely backward class, backward class, backward class women and general) in which more than 50 percent of the members of the managing committee of such self help groups or cooperative societies of women/ex-servicemen, belong to, for the purpose of determination of their reservation status.

(v) The applicant of a fair price shop's license must be matric pass and an adult;

Provided that the applicant having computer knowledge shall be given priority. In case of equality in computer knowledge, the applicant having highest qualification and in case of equality in highest qualification also the applicant of older age shall be given priority.

(vi) In case, a cancelled license is in appeal or in revision, and the lower court's order is stayed, such cancelled license shall not be enumerated in the list of vacant fair price shops.

(vii) The process of filling up vacant fair price shops shall be a continuous process, and a vacant fair price shop shall be filled up within a month from its vacancy.

(viii) After approval of the District Officer on the reservation roaster point prepared in accordance with the reservation roaster point determined by the General Administration Department applications shall be invited for filing up the vacant fair price shops by advertisement at least in two daily news papers.

(ix) Against unreserved vacancies, persons of all classes may submit application, and the selection shall be made purely on merit, and their status shall be unreserved.

(x) The license for a fair price shop shall be issued in the name of self help groups and cooperative societies of women/ex-servicemen and its operation shall be made by their managing committee.

(xi) A fair price shop owner shall have the fair price shop in its catering locality, and as an exception in special circumstances in view of convenience of the beneficiaries a fair price shop may be allowed outside of the catering area by the prior approval of the District Officer.

**10**. **A fair price shop license on Compassionate Ground** - In case of death of a fair price shop's licensee under the age of 58 (fifty eight) years, his shop may be allotted in order of priority to his/her wife/husband, son, unmarried daughter, daughter-in-law, and widow of his son. If there are out of these more than one dependant, all the other are required to forsake their claim in favour of one through an affidavit. The application in this regard shall be entertained, if submitted within two years from the date of death of the licensee by his dependent. If granted, such a fair price shop license shall be a new license, and it shall be permissible for further compassionate ground license, but if any member of the family of the deceased licensee is a government servant or holds a post of profit in the government, such a family shall not get benefit of compassionate ground.

**11. Disqualifications of getting a fair price shop license**

(i) No fair price shop license shall be granted to more than one member in a joint family. Father, mother, brother, brother's wife, husband, wife, son, son's wife and step brother shall come in the definition of the family

(ii) A mukhia, a sarpanch, a panch, a ward member, a member of a panchayat samiti, a member of a district board, an MLA, a Member of Legislative Council, a member of Parliament, and an elected member of municipal bodies shall not be eligible for allotment of a fair price shop during his tenure as such capacity.

(iii) An owner of a flour mill and his near relatives shall not be allotted a fair price shop.

(iv) A minor or a lunatic or an insolvent shall not be allotted a fair price shop.

(v) A person finally convicted by the court under the Essential Commodities Act,1955 or in any other criminal case shall not be allotted a fair price shop.

(vi) A person holding a post of profit in the Government shall not be allotted a fair price shop.

**12. To follow the criteria of population and reservation is necessary in awarding fair price shop licenses.**

**13. Fees**

(i) **License Fee** - (a) The applicant selected by the District Selection Committee shall be noticed by the licensing authority to deposit Rs 1000 (one thousand) as license fee through treasury challan. After deposit of the license fee the licensing authority shall issue license in schedule 03.

(b) The licenses issued under the provisions of the previous Order, 2001 shall be deemed valid under this Order, and the licensee having such kind of licenses shall have to get their licenses be converted under the provisions of this Order within six months from the date of its commencement by paying Rs 1000 (one thousand) as license fee through treasury challan.

(ii) **License Renewal Fees** :- (a) The license shall be renewed for five years. On presentation of application in schedule 04 with renewal fee of Rs.500 (five hundred) deposited through treasury challan, the license shall be renewed by the licensing authority. The licensee shall get his license renewed within a

month after the date of its expiry. Thereafter with the license fee a delay fee of Rs 100 (one hundred) at rate of per month shall be payable, and with delay fee the license shall be renewed in maximum eight months.

(b) If the license is not renewed in a month from the date of its expiry, the supply of the essential commodities to the licensee shall be stopped by the licensing authority.

(c) A license shall not be renewed during its suspension period. It shall be renewed after vacation of suspension after getting license fee in one installment.

(iii) **Fee for issuing a duplicate copy of a license** : - If a license is distorted, lost, or destroyed, this shall be informed by the licensee to the licensing authority immediately. On presentation of application by the licensee with fee of Rs. 200 (two hundred) deposited through treasury challan a "duplicate copy of the license" shall be issued by the licensing authority.

**14. Operation of fair price shop and Duties and Responsibilities of a Licensee**

(i) The licensee shall distribute food grains and other commodities to the ration card holder as per his entitlement under the Targeted Public Distribution System at the prescribed retail price, and shall not deny to deliver the essential commodities lying in the shop as per his entitlement.

(ii) The licensee shall allow the ration card holder to draw food grains and other commodities in more than one installment.

(iii) The licensee shall not retain the ration card after the supply of the food grains and other commodities.

(iv) The licensee shall sell food grains and other commodities to the ration card holder as per his entitlement under the Targeted Public Distribution System at the prescribed retail issue price.

The licensee shall simultaneously issue cash memo (as per schedule-05) to every consumer after sale of the essential commodities, on which he shall note down the name and address of the consumer and shall take thereon the consumer's signature or thumb impression. The carbon copy (the duplicate copy) of the cash memo shall also be printed as of the original one, and on it also the name , license no. and address of the licensee shall be printed.

(v) The licensee shall display a notice board at conspicuous place outside the shop, and a price and stock display board inside the shop, which shall contain information on daily basis regarding entitlement of food grains and other commodities, scale of issue, retail issue prices, timings of opening and closing of the fair price shop, stock of food grains and other commodities received during the month, opening and closing stock of food grains and other commodities, the designation of the authority with telephone no. and address appointed for redressal of grievances with respect to quality and quantity of food grains and other commodities under the Targeted Public Distribution System, and toll-free helpline number etc. and the notice board in accordance with the schedule 06 and the price and stock display board in accordance with the schedule 07 shall be displayed either by painting on the wall or by making a board.

(vi) The licensee shall maintain records of the ration card holders, e.g. stock register, issue or sale register in the format prescribed, from time to time by

the administrative department, and it shall also include electronic format in a progressive manner.

(vii) The licensee shall display the sealed samples of food grains and other commodities made available to him by the authorities at the time of their lifting at the conspicuous place in his shop.

(viii) The licensee shall produce books and records relating to the allotment and distribution of food grains and other commodities as directed by the inspecting officers, and shall furnish of such information as may be called for by the inspecting officers.

(ix) The licensee shall submit the report certified by the local mukhiya or local head of the municipal body, as the case may be, and by one of the member of the local vigilance committee, of the accounts of actual distribution of food grains and the balance stock at the end of every month at the fair price shop to the licensing authority or to the officer authorized by him, and shall send a copy of the report to the panchayat or the municipal body.

(x) The licensee shall open and close the fair price shop as per the specified time displayed on the notice board.

(xi) The licensee shall follow the duties and responsibilities as described in the license.

(xii) The licensee in schedule 08 and his representative in schedule 09 shall have identity card issued by the licensing authority. The licensing authority may allow the licensee to have a representative to help him in carrying out the fair price shop business.

(xiii) (a) Any concerned ration card holder desirous of obtaining extracts from the records of a fair price shop shall make a written request to the licensee along with the deposit of prescribed fee Rs 10 (ten) and Rs. 2 (two) per copy as additional fee. The licensee shall provide such extracts of records to the ration card holder within fourteen days from the date of receipt of the request and the required fee.

(b) The licensee shall keep all the records related to the fair price shop safe at least for five years, and these records may be destroyed with permission of the competent authority.

(c) The Block Supply Officer /In Charge Block Supply Officer shall ensure that all the records related to the shop are being kept safe by the licensee in accordance with sub- clause (b), and the extracts of the records are being supplied by the licensee to the ration card holder within 14 days of receipt of the written request and the prescribed fee. In case of non-compliance of these provisions by the licensee, the Block Supply Officer / In Charge Block Supply Officer shall report it to the licensing authority, and the legal action shall be taken by the licensing authority regarding it.

(xix) The licensee shall provide necessary cooperation in inspection and supervision system based on information technology system developed by the Department.

(xv) The licensee shall implement PDS modernization and reform programmes (as ration coupon, cash transfer etc.) fully.

(xvi) Under PDS reforms and modernization programmes the licensee shall be responsible to establish and implement Information technology system.

**15. Working Period and Leave**

(i) A shop of public distribution system shall be kept open every day in a week from 7.00 am to 1.00 pm from March to August and from 8.00 am to 2.00 pm from September to February.

(ii) If a fair price shop owner is unable to operate the shop due to unavoidable reasons for a limited period, he shall submit an application to the licensing authority. The licensing authority may give him permission to go in leave after making optional arrangement for supply of essential commodities to the consumers related to his shop. The maximum period of leave shall be of 90 days at a time.

**16. Transfer of license** - A fair price shop license shall not be transferred in the name of any member of a family or of any other person. No partnership shall be allowed in a fair price shop or in its license.

**17. Change in a fair price shop's business place**

(i) If the licensee wants change in storage place of essential commodities or business place as described in the license, the licensee shall submit to the licensing authority an written application for this purpose stating reasons and identification details of the proposed place of change.

(ii) The licensing authority shall take a decision of accepting or rejecting the application within a fortnight from the date of its receipt. If the petition is accepted, the licensing authority shall order for necessary changes in the license and in the office's license register.

(iii) If no decision is taken within a fortnight by the licensing authority, the licensee may store or begin business of the essential commodities at the proposed place for change with the prior permission of the District Officer.

(iv) The licensee may shift the storage or business place of the essential commodities without permission of the licensing authority at a place not described in the license in emergency situations ( such as earthquake, flood, or other reasons like sudden damage in the building, etc), and shall give its written information to the licensing authority within 72 hours, and in accordance with sub clauses 1, 2, and 3 the proposed change will be effected.

**18. Payment of Commission or Margin Money Payable to the Licensee** - It shall be the responsibility of the licensing authority to get the commission or margin money payable to the licensee under the schemes conducted by the department paid to the licensee within two months after lifting/disbursing of the essential commodities.

**19. Tagging of a fair price shop**

(i) In case of death of a licensee, or cancellation of license or stopping of allotment of essential commodities due to other reasons, the Block Supply Officer/ In Charge Block Supply Officer shall tag the consumers of such a fair price shop to the nearest fair price shop keeping in view of equality, with approval of the licensing authority, so that the consumers of such a shop can get uninterrupted supply of food grains and other commodities.

(ii) No change shall be made in tagging of the consumers in normal circumstances.

(iii) All kinds of the consumers such as antoyodaya, PHH, kerosene, etc related to the catering area of the fair price shop shall be tagged with the same fair price shop.

**20. Inspection**

(i) The District Officers, Additional District Magistrates (Supply)/Additional Collectors, Special Officer, Patna Rationing, District Supply Officers, Sub Divisional Officers, Licensing Authorities, Assistant District Supply Officers, Deputy Rationing Officers, Patna, Assistant Rationing Officers, Patna, Marketing Officers, Block Supply Officers/In Charge Block Supply Officers (such as Circle Officer, Block Development Officer, etc) and Supply Inspectors shall be authorised to conduct regular inspections of fair price shops, godowns of the State Food Corporation, premises of kerosene wholesalers, and issue and distribution of SIOs, delivery of food grains and other essential commodities under door step delivery scheme, and GPS within their jurisdictions.

(ii) The District Officers under their jurisdictions shall prepare a roster for inspection of all fair price shops and the issue centres such as the godowns of the State Food Corporation/premises of kerosene wholesalers of the district in such a way that each shop is inspected at least once in three month and each godowns of the State Food Corporation/premises of kerosene wholesaler at least once every month by the officers mentioned in sub Para (1).

(iii) The information technology based inspection and supervision system, as developed by the department, shall also be utilised by the inspecting authorities in maintaining the reports of all kinds of inspections, and in case any irregularity is found, the inspecting authority shall make a copy of the report available to the licensing authority without delay. The licensing authority shall be responsible for taking action within a month after receiving such report.

(iv) A report/evidence generated under the system of information technology shall be deemed a legal document, and an employee who distorts anything in the report/evidence generated by this system shall be liable for disciplinary and legal actions.

## Part - 3

## Identification of Eligible Households, Ration Cards, and Lifting and Distribution of Food grains and Other Commodities

**21. Identification of Eligible Households and Ration Cards**

(i) Under this Order the Sub Divisional Officer within his territorial jurisdiction shall draw up the list of the eligible households under the National Food Security Act, 2013 in accordance with the guidelines determined by the state government, and shall be authorized to receive, register, acknowledge and process of applications for issuance of ration card or modification in the ration card in the form prescribed by the state government.

(ii) The Sub Divisional Officer, under his territorial jurisdiction, shall issue a ration cards to eligible applicants within a reasonable time not exceeding one month of the date of receipt of the applications after necessary examinations and verification.

(iii) The Sub Divisional Officer, under his territorial jurisdiction, shall issue ration cards in replacement of existing ration cards only when the existing ration card is lost or becomes unfit for use on account of being damaged or mutilated or is exhausted fully or where there are requests for modifications in the ration card.

**22. Allotment of food grains and other commodities to Fair price shops**

(i) The Sub Divisional Officer, under his territorial jurisdiction, shall allot food grains and other commodities to fair price shops, and while making allocation, he shall take into account the balance stock, if any, lying undistributed with the fair price shop owner for the subsequent allocations.

(ii) The Sub Divisional Officer shall ensure that one copy of the allocation order made to the fair price shop is delivered to the local authority, vigilance committees, and any other body nominated by the state government for monitoring the functioning of the fair price shop.

(iii) Before taking delivery of food grains from the Bihar State Food Corporation (BSFC), the Sub Divisional Officer shall appoint an officer not below the rank of a Supply Inspector who shall jointly inspect the stocks of food grains intended for issue to confirm to the prescribed quality specifications with the officer appointed by the BSFC and after the joint inspection and before dispatch of food grains from the godown, the BSFC shall issue to the fair price owner one stock-wise sealed sample jointly drawn for display at the fair price shop and a duplicate sealed sample drawn shall be kept with the BSFC for future reference.

(iv) The quantity of the samples to be drawn, retention period of the samples and disposal of the samples shall be as per the instructions issued by the State Government from time to time.

**23. Monthly certificate of distribution of food grains and other commodities -** The Sub Divisional Officer shall ensure to get the monthly certificate of distribution of food grains and other commodities from the fair price shop owner with certification jointly by the local mukhiya or by the head of the local municipal body, as the case may be, and by a member of the local vigilance committee.

**Part - 4**

**Penalty**

**24. Penalty** A violator ( including a licensee) of any provision of this Order shall be liable to punishment under section 7 of the Act.

**25. Action against a licensee**

(i) In view of the order passed by the Hon'ble Supreme Court in Civil Writ196/01, action shall be taken against the licensees in the following circumstances :-

Licensees who,

(a) do not keep their shops open throughout the month during the stipulated period;

(b) fail to provide foodgrains to BPL families strictly at BPL rates and no higher;

(c) keep the ration cards of BPL household with them;

(d) make false entries in the BPL ration cards;

(e) engage in black marketing or siphoning away foodgrains to the open market and handover such ration shops to such other person/organizations shall make themselves liable for cancellation of their license. The concerned authorities will not show any laxity on the subject.

(ii) The above mentioned order of the Hon'ble Supreme Court shall be applicable also to other goods supplied from a fair price shop.

**26. Delegation of powers of the licensing authority**

Along with implementing the provisions of the Public Distribution System (Control) Order, 2016 the powers entrusted to the licensing authority of issuance/renewal of license, issuance of identity cards to fair price shop owner under Public Distribution System, getting the conditions, duties and responsibilities as described in the license implemented, and of annulment of license shall not be delegated to any other authority.

The action of asking show cause from the fair price shop owner on the report of an inspecting officer shall be taken only by the licensing authority.

**27. Cancellation of License**

(i) If a licensee violates any provision of this Order or fails to comply duties and responsibilities assigned to the license, his license shall be cancelled by the licensing authority by a written order, and such a cancellation of license shall not affect other actions initiated/initiable under the Essential Commodity Act, 1955 (Central Act 10 of 1955).

(ii) No order of cancellation of a license shall be made until the licensee has been given sufficient opportunity to state his case against the proposal of cancellation of his license.

(iii) The cases of violation of the provisions of this Order shall be disposed of within two months, as far as possible, after coming in cognizance as for.

**28. Actions to be taken against a licensee after a FIR lodged**

If an FIR is lodged against a licensee under the Essential commodities Act, 1955 or for any other criminal cases, and he is sent to jail or he goes fugitive, his license shall be suspended by the licensing authority with immediate effect, and after serving show cause notice upon him in accordance with Civil Procedure Code and giving him sufficient opportunity to present his case, a lawful action shall be taken within 180 days, as far as possible.

**29. Consequence of Conviction**

The license of a licensee convicted by a competent court for violation of an order made under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 or for any other offence shall be cancelled by the licensing authority by a written order :

Provided that if such a conviction is annulled in appeal or revision, the license shall be restored by the licensing authority, if such a licensee within one month from the date on which such a annulment order is passed makes a written representation to the licensing authority with attaching certified copy of such an order and with payment of license fee equal to a new license fee through treasury challan.

**30. Distribution of essential commodities after a license is suspended or cancelled**

The block supply officer/ in charge supply officer / supply inspector shall get the food grains and other essential commodities available to the licensee at time of his license being suspended/ cancelled, disbursed under his care to the concerned consumers at the prevailing rates and quantities within 30 days from the date of the receipt of such order, and the amount so collected shall be handed over to the licensee/ his representative :

Provided that if the commodities could not be disbursed within 30 days due to unavoidable reasons, the time period of disbursement, which shall be maximum of 60 days, shall be extended by the licensing authority upon the report of the block supply officer/ in charge bock supply officer /supply inspector.

## Part - 5
## Search and Seizure

### 31. Power of Search and Seizure

(i) The following officers, in their territorial jurisdiction shall be authorized under this Order to enter, inspect, examine, search and seize the premises of a fair price shop or the premises which are related to fair price business :-

(i) Principal Secretary, Secretary, Special Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary of the department;
(ii) All Divisional Commissioners;
(iii) All Deputy Inspector General of Police;
(iv) All District Officers;
(v) All Superintendent of Police
(vi) All Additional District Magistrates;
(vii) All Additional Collectors;
(viii) All Deputy Directors, Food and Civil Supplies;
(ix) All District Supply Officers;
(x) All Sub Divisional Officers;
(xi) All Deputy Superintendent of Police
(xii) All Assistant District Supply Officers;
(xiii) Magistrate In Charge, Flying Squad constituted by the department;
(xiv) All Executive Magistrates;
(xv) Special Rationing Officer, Patna;
(xvi) Deputy Rationing Officer, Patna;
(xvii) All Assistant Rationing Officers, Patna;
(xviii) All Block Development Officers;
(xix) All Circle Officers;
(xx) All Block Supply Officers/ In Charge Block Supply Officers;
(xxi) All Marketing Officers;
(xxii) All Supply Inspectors;

(ii) The authorized officer may inspect or seek such records or documents as may be considered by him necessary for examination and he may take extracts or copies of any records or documents produced before him.

(iii) If the authorized officer has reasons to believe on receipt of a complaint or otherwise that there has been any contravention of the provisions of this Order or the Central Public Distribution System (Control) Order, 2015, or with a view to securing compliance with these Orders, he may enter, inspect or search the fair price shop or any premises related to transactions of business of the fair price shop.

(iv) The authorized officer may also search, seize or remove such books of accounts or stocks of food grains and other commodities where such authority has reason to believe that these have been used or will be used in contravention of the provisions of Central "Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015" or this order.

(v) The authorized officer conducting search and seizure under sub-clause (4) shall inform the District Magistrate or an officer authorized by him the details of the search conducted and the stocks of food grains or other commodities so seized.

(vi) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure 1973, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to search and seizure under this Order.

## Part - 6
## Appeal

**32. Appeal**

(i) All District Officers under their territorial jurisdiction are appointed as appellate authority for exercising the powers conferred upon and discharging the functions under this Order.

Provided that an appeal pending before an Appellate Authority appointed under the Public Distribution System (Control) Order, 2001 shall be disposed of by such authority as if this Order had not been made.

(ii) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of a ration card or cancellation of the ration card may appeal to the District Officer within thirty days of the date of receipt of the order.

(iii) Any person aggrieved by an order of the licensing authority denying the issue or renewal of the license to the fair price shop owner or cancellation of the license may appeal to the District Officer within thirty days of the date of receipt of the order and the District Magistrate shall, as far as practicable, dispose the appeal within a period of sixty days.

Provided that once an appeal has been disposed of by the District Officer, the time for issue or renewal of the license of the fair price shop owner by the licensing authority shall begin from the date of decision of the District Officer on the appeal.

(iv) No appeal shall be disposed of unless the aggrieved person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(v) Till the disposal of appeal pending, the Appellate Authority may direct that the order under appeal shall not take effect for such period as the authority may consider necessary for giving a reasonable opportunity to the other party under sub-clause (4) or until the appeal is disposed of, whichever is earlier.

(vi) Due to non disposal of the appeal within sixty days by the District Officer or against the order passed in the appeal, a revision may be filed before the Divisional Commissioner. The revision shall be disposed of within two months.

(vii) The Principal Secretary/ Secretary of the department may call for the records related to the order passed under the provisions of this Order by the Divisional Commissioner or the District Officer or the licensing authority or the Sub Divisional Officer suomotto or upon a representation by someone, and if he is satisfied that the Divisional Commissioner or the District Officer or the licensing authority or the Sub Divisional Officer

(a) has exercised such powers which are not entrusted to him,

(b) has exercised his powers illegally without considering the facts of the case,

(c) has failed in use of his powers, he may pass an order which he thinks fit.

## Part - 7
## Miscellaneous

**33. Exemptions -** The provisions of the Central Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 or this Order shall not be applicable to purchase or sale or storage for sale of essential commodities by the followings or in this behalf :-

(a) Central Government or godowns of Central Government;

(b) The State Government or godowns of the State government;

(c) The Officials and departments of the State government, and the Bihar State Food and Civil Supplies Corporation and its godowns (except Fair Price shops'godowns);

(d) Godowns of a central or state level cooperative society (except Fair Price shops' godowns);

(e) Gram Panchayat Bhawan (except Fair Price shops' godowns).

**34. Repeal and Savings**

(i) Departmental Notification No. G.S.R. - 01 dated 20th February, 2007, G.S.R. - 03 dated 21st February, 2007, Notification Memo No. 5738 dated 23rd June, 2011, Notification Memo No. 61 dated 5th January, 2015 and Notification Memo No. 5819 dated 23rd July, 2015 issued under Central Public Distribution System (Control) Order, 2001 is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the said notifications shall be deemed to be done or taken under this order as if it was come in to force for the time being.

(iii) All the cases against fair price shop's licensees pending at the commencement of this Order shall be dealt with in accordance with the provisions of the orders under whom these cases were initiated.

(iv) Before the commencement of this Order all letters, circulars, orders and directions issued under public distribution system in regard to the fair price shop's license, licensing process, license fee, license renewal fee, fee for the duplicate copy of license, work operation by the licensee, licensee's working period and holidays, license' suspension and cancellation, search and seizure, penalty, disbursement of essential commodities after cancellation or suspension of a license, transfer of license, agreement, identity card of the licensee or his representative, change in business place of fair price shop, and consequences of conviction under the Essential Commodities Act, 1955 and appeal/revision shall deemed to be repeal, but notwithstanding such repeal, any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced, any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said orders have not been repealed.

(v) The circulars issued time to time earlier regarding monitoring of the fair price shops shall remain in force and shall be deemed to be notified under this Order, if they are not inconsistent with the provisions of this Order or with the provisions of the Central Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015.

(vi) The notifications, orders and directions issued or to be issued under the provision of National Food Security Act, 2013, in regard to identification of eligible households, ration cards, delivery of food grains, lifting and distribution of food grains by the State, monitoring, transparency and accountability, and end to end operations which includes digitization of beneficiary, ration cards, and other databases, computerization of supply chain management, setting up transparency portal, grievance redressal mechanism and fair price shop automation shall be deemed to be issued under this Order too.

**35. Protection of action taken under this Order in good faith -** No suit, prosecution, other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Order.

**36. Power of the State Government to give directions -** The State Government may give such directions as it deem necessary for execution of all or any of the provisions of this Order or of the Central Public Distribution System (Control) Order, 2015.

(सं0 प्र04–पी.डी.एस.–01/2015—1750)

By order of the Governor of Bihar,
L. P. SINGH,
*Joint Secretary to the Government.*

**Schedule 01**

**Application for a fair price shop license under Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 (for individuals)**

**The designation and Office Address of the Licensing authority**……

Attested photo of the applicant

1 Particulars of the applicant
   (a) Name
   (b) Father/husband 's name
   (c) Educational Qualification
   (d) Age
   (e) Permanent and Present Address (with phone no./mobile no./e-Mail address)
   (f) Computer Knowledge
2. The details of the fair price shop for which the license is required.
   Details of Business Place
   (a) House/shop no.
   (b) Holding no.
   (c) Area
   (d) Khata no. ..... Khesara no.....
   (e) Boundary
   (f) Muhalla/ Ward No.
   (g) Village/town
   (h) Police Station
   (i) District
3. If reservation claimed, state reservation class and attach caste certificate
4. The business place whether self owned or rented. If rented, attach certified copy the rent agreement.
5. If the applicant has license of other business, give its details
6. Is applicant ever convicted for violation of any order issued under the EC Act, 1955 during last three years by a court.
7. Has the applicant been convicted or declared insolvent by a court?
8. Is any criminal case pending against the applicant?
9. Is the applicant posted on a post of profit under Govt.? If yes, give details.
10. Is the applicant in a government job? If yes, give details.
11. Does the applicant own a flour mill?
12. Is the applicant a close relative of a flour mill owner?
13. Is the applicant a mukhia, sarpanch, , panch, ward member, member of a panchayat samiti, member of a district board, MLA, Legislative Councillor, M.P., elected member of a municipal body?

I.....hereby declare that the above mentioned particulars are true to the best of my knowledge and belief, and nothing is undisclosed . I shall be liable to legal action if they are found incorrect in future.

I have carefully gone through and understood the provisions of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 and I agree to abide by it.

Place

Date Signature of the applicant

**Scheduled 2**

**Application for a fair price shop under Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 (for self help groups and co-operative societies of women /ex-servicemen)**

The designation and Office Address of the Licensing Officer.....

Attested photo of the applicant

1. Particulars of the Cooperative Societies of women/ex-servicemen/Self Help Group
   (a) Name and type
   (b) Registration no. and year (In case of Self Help Group Year of Constitution with present grading)
   (c) Office Address
   (d) Chief occupation and working area
   (e) Details of the chairman/chief and members of the managing committee, (attach copy of the election certificate)
   (f) If superseded, mention name and designation of the administrator,
2. The details of the fair price shop for which the license is required.
3. Information as to the person authorised by the managing committee of the cooperative Societies of women/ex- servicemen /Self Help Group to make application
   (a) Name.
   (b) Father's /husband's name
   (c) Permanent address
   (d) Correspondence address
   (e) Phone no./ Mobile no./ e-mail address
4. If reservation claimed, state reservation class and attach caste certificate of the members of the managing committee including its chief.
5. Details of Business Place
   (a) House/ Shop no.
   (b) Holding no.
   (c) Area .
   (d) Khata no. ..... Khesara no.....
   (e) Boundary
   (f) Mohalla/Ward no.
   (g) Village/town
   (h) Police Station
   (i) District
   (j). Storage capacity of the godown
6. The shop or godown whether self owned or rented? If it is self owned, attach attested copies of the related papers, and if rented, attach the attested copy of the rent agreement.
7. If the co-operative Societies of women/ex- servicemen /self help group has a license of any other business, give its details.

8. Details of the working capital available with the cooperative Societies of women/ex-servicemen or the self help group.
( give details of the bank accounts with the balance on the date of submitting application)
I.....hereby declare on behalf of the
..... as being authorised in the meeting dated
……of its managing committee by the proposal no..... that the above mentioned particulars are true to the best of my knowledge and belief, and nothing is undisclosed.

I further declare that the managing committee of …..…… have gone through and understood the provisions of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 and it agrees to abide by it.

Countersignature of the Chief of the Society
Name
Designation
Name of the Society/Self help group

Signature of the applicant authorised to apply /Self help group
Name
Designation
Name of the Society/Self help group

**Scheduled - 03**
**License of Fair Price Shop under the Bihar Targeted Public Distribution System (Control), 2016**

---

License No…….
Challan No. ……..Date …….
Name of
The licensee…….
Father's /Husband's
name…….
Address ……

Photo of the licensee attested by the licensing officer

**Duties and Responsibilities**

**1.** Shri …… is hereby authorized to stock essential commodities at the place which details given below with the view of regularization of purchase, sale and distribution of essential commodities of the public distribution system under the provisions of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 and of the duties and responsibilities of the licensee.

**Details of Storage place**

(a) Khata……. Khesar…… Holding no. ……
(b) Area of the shop ……..
(c) Details of the shop ……
(d) Address ……
(e) Boundary of the shop …….
(f) If the shop is on rent, the owner's name and address……..

**2. Details of the essential commodities**

(a) Food grains

(b) Edible oil
(c) Kerosene
(d) Sugar
(e) Pulses
(f) Other commodities

**3.** (a) The licensee shall maintain stock and sale registers and cash memo as prescribed in accordance with directions issued by the Food and Consumer Protection Deptt., Bihar. He shall enter quantities of the essential commodities mentioned in the serial no. 2 in the registers as follows :-
(i) Food grains/pulses in quintal or kilogram
(ii) Edible Oil/ Kerosene in liter
(b) The licensee shall complete all the entries in the stock and sale registers before the opening of the shop next day.

**4.** The licensee shall keep open the shop every day during the prescribed timings, and shall display at the easily visible place the "notice board" outside the shop and the "price and stock display board" inside the shop. The notice board in accordance with the scheduled 7 and the price and stock board in accordance with the scheduled 8 either by painting the wall or by a board.

**5**. The licensee shall maintain in the shop the list of the consumers of all kinds (such as PHH, antodaya, kerosene, etc.) related to the shop.

**6.** The licensee shall distribute the essential commodities to ration card holders as per their entitlement at the prescribed rates.

**7.** The licensee shall allow the ration card holders to draw the essential commodities to the extent of their entitlement in more than one installment.

**8.** The licensee shall not sell or offer to sell to the concerned consumers the essential commodities at the rate higher than the prescribed one

**9**. The licensee shall give cash memo ( in accordance with schedule 06) to every consumer after supply of the essential commodities, writing the name, address, and ration card no. of the consumer and taking his signature/ thumb impression therein. The carbon copy (second copy) of the cash memo shall also be printed like the original one, in which the name, license no, and address of the licensee shall also be printed.

**10**. The licensee shall return the ration card to the concerned consumer after making entries of the supply of the essential commodities therein. In no circumstances the licensee shall retain the consumer's ration card with himself

**11**. The licensee shall display inside his shop at easily visible place the sealed samples of food grains and other commodities made him available by the authorities at the time of their lifting.

**12.** The licensee shall produce such information related to the business, when it is demanded, correctly, and shall comply the orders that would be given time to time by the state government, the divisional commissioner, the district officer and the licensing authority.

**13.** The licensee shall provide all proper facilities to the inspecting authorities to inspect the stock of the essential commodities and accounts/registers and to take their samples for examination.

**14**. The licensee shall maintain a "inspection register" and a "complaint-cum- advice register". The licensee shall provide the complaint-cum-advice register to the consumers on demand to enter their advices/ complaints regarding quality, quantity of food grains and the other problems faced during drawing the ration.

**15**. The licensee shall comply cent percent the provisions of the "Bihar Coupon Yojana, 2006" and the "Bihar Kerosene Coupon Yojana, 2006". .

**16.** The licensee shall keep the license and all kinds of registers/books, deeds , list of the consumers etc and cash memo related to the fair price shop in the shop.

**17.** The licensee shall preserve all the essential commodities in the proper condition, and shall make arrangement to save these commodities from the loss to be caused by moisture, rainfall, insects, birds, fire and other things.

**18.** The licensee shall not store fertilizers, insecticides and poisonous chemical substances with food grains.

**19**. The licensee shall keep balance, watts and other instruments in the shop for supply of essential commodities in correct weight and measurement getting them verified annually in time by the weight and measurement department.

**20**. The licensee shall submit the report certified by the local mukhiya or local head of the municipal body, as the case may be, and by one of the member of the local vigilance committee, of the accounts of actual distribution of food grains and the balance stock at the end of every month at the fair price shop to the licensing authority or to the officer authorized by him, and shall send a copy of the report to the panchayat or the municipal body.

**21**. The licensee shall present to the inspecting officer the records or registers related to allotment and disbursement of essential commodities, and shall give such information as demanded by the inspecting officer or the licensing officer.

**22**. (a) Any concerned ration card holder desirous of obtaining extracts from the records of a fair price shop will make a written request to the licensee along with the deposit of fees of minimum Rs 10 (ten) and maximum Rs.2 (two) per copy whichever is more. The licensee shall provide such extracts of records to the ration card holder within fourteen days from the date of receipt of the request and the required fee.

(b) The licensee shall keep all the records related to the fair price shop safe at least for five years, and he may destroy these records with permission of the competent authority.

**23.** The licensee shall ensure necessary cooperation in inspection and supervision system based on information technology system developed by the Department.

**24.** The licensee shall implement PDS modernization and reform programmes (as ration coupon, cash transfer etc.) fully.

**25.** Under PDS reforms and modernization programmes the licensee shall responsible to establish and implement Information technology system.

**26.** This license shall be valid upto ……..

Place
Date

( Licensing Authority)
Name, designation and office seal.

**Schedule - 04**

Application for the Renewal of the Fair Price Shop's Licence No. ……Issued Under the Bihar Public Distribution System (Control) Order, 2016.

To
The Licensing Authority,
……
Sir.,

I hereby apply for the renewal of the Fair Price Shop's Licence No. ……issued under the provisions the Bihar Public Distribution System (Control) Order, 2016. The required particulars are as follows :-

1. Challan No……. date……
   Deposit of renewal fee ……./Late fee ……
2. The date of validity of the license ……
3. The name of the license ……..
4. The details of the action taken against the licensee for violating an order issued under the Essential Commodity Act, 1955, if there is any.
   I ----------hereby declare that the above mentioned particulars are true to the best of my knowledge and belief and nothing is undisclosed.

   Place
   Date Signature of the Licensee

**Schedule - 05**
**Sample of Cash memo to be Issued to Consumers**

Food and Consumer Protection Department, Bihar
Cash memo

Date - Serial No.
Name, Address, License No. of the Fair Price Shop owner :-

Consumer's name and address……
Ration Card No…….
Type of Ration Card ( PHH/Antodaya/ Annapurna/ Kerosene etc)……..
Unit ……
The name of the commodity supplied ……. Rate……
Weight/ Measurement…….
Amount received …….

Signature/ thumb impression of Consumer
Signature of the FPS Owner

**Note**

The cash memo shall be issued for every commodity supplied. Thereon signature / thumb impression of the consumer shall be taken.

**Schedule - 06**

**A Fair Price Shop Under the Bihar Public Distribution System (Control) Order, 2016**
**(Food and Consumer Protection Department, Bihar)**
**Notice Board**

Date .....

**1.** Name of the Fair Price Shop Owner :
**2.** Address :
**3.** Ward No. :
**4.** License No. :
**5.** The opening period of the shop :

**Note**

1. With yellow colour base the minimum size of the board should be 3'x2' and the entries should be in black colour and shall be displayed outside the shop.
2. The Fair Price Shop shall remain open as prescribed by the government.

**Schedule - 07**

**Food and Consumer Protection Department, Bihar**
**Price and Stock Display Board**

Date.....

1.Name of Fair Price Shop Owner : -
2.License No.
3.

| Type of ration card attached to the shop | No./unit of attached ration cards | Allotment ( in quintal-kilogramme/litre) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wheat | Rice | Kerosene | Others |
| PHH | | | | | |
| Antoyodaya | | | | | |
| Annpurna | | | | | |
| Kerosene | | | | | |
| Others | | | | | |

| Serial no. | Name of commodity | Today 'stock in quintal-kilo/litre | Today's receipt | Total | Rate per kilo/litre | Allowable Quantity per card/unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHH wheat | | | | | | |
| 2 | PHH rice | | | | | | |
| 3 | Anntoyodaya wheat | | | | | | |
| 4 | Anntoyodaya rice | | | | | | |
| 5 | Annapurna wheat | | | | | | |
| 6 | Annpurna rice | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sugar | | | | | | |
| 8 | Kerosene | | | | | | |
| 9 | Others | | | | | | |

4.Designation, address , phone/ mobile no. of District Complain Redreassal Officer :-
5.Toll Free Helpline no.
6.The complain-cum-advice book is available with the dealer

Note :-
(1) The minimum size of Price and Stock Display Board shall be of 4'x 3'.
(2) The base of the Price and Stock Display Board shall be in black and entries thereon shall be in white colour.
(3) Price and Stock Display Board may be made on wall by painting or by making a board, and should be inside the shop at a easily visible place.

**Schedule – 08**

**----------**

**Specimen of the Identity Card of the Licensee**

**----------**

**Food and Consumer Protection Department, Bihar**

---

Name of the Office …….. Identity Card No. …….

1. Name of the Fair Price Shop Owner :-
2. License No. :-
3. Address :-

Photo of the Licensee

(Photo shall be attested by local Mukhia/Ward Commissioner/Ward Counsellor)

4. Signature of the Licensee :-
5. Valid Date (Till the next renewal date of the License)

Sig. of the Supply Inspector | Sig. of the Marketing Officer / Block Supply Officer | Sig.&Seal of the Licensing Authority

……..

**Schedule – 09**

---

**Specimen of the Identity Card of the Representative of the Licensee**

---

**Food and Consumer Protection Department, Bihar**

---

Name of the Office …….. Identity Card No. …….

1. Name of the Fair Price Shop Owner :-
2. License No. :-
3. Address :-

| Photo of the Licensee | Photo of the Nominated Representative |
|---|---|

(Photo shall be attested by local Mukhia/Ward Commissioner/Ward Counsellor)

4.Name and address of the nominated representative :-
5. Signature of the nominated representative :-
6. Signature of the Licensee :-
7. Valid Date (Till the next renewal date of the License)

Sig. of the Supply Inspector | Sig. of the Marketing Officer / Block Supply Officer | Sig. & Seal of the Licensing Authority

……

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 201-571+100-डी0टी0पी0।
**Website:** http://egazette.bih.nic.in